

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./वेतन आहरण/2016/332 जयपुर, दिनांक: 19-02-2020

**-: आ दे श :-**

श्री मोतीराम जीनगर, पंचायत प्रसार अधिकारी के निम्न बकाया वेतन बिलों की पूर्व जांच जिला परिषद जालोर के लेखाधिकारी द्वारा किये जाने से सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम खण्ड प्रथम (पार्ट-1) के नियम 90 से 93 एवं 188 के उपबंधों के तहत वेतन भुगतान किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	वेतन अवधि बिल माह	बिल संख्या एवं दिनांक	राशि
1.	माह दिसम्बर 2010 से मार्च, 2011 तक	132 / 18.07.2017	53812.00
2.	माह दिसम्बर, 2011	337 / 25.01.2017	13453.00
3.	माह मई, 2011 से सितम्बर 2011 तक	338 / 25.01.2017	67265.00
4.	माह जनवरी, 2012 से जून 2012 तक	133 / 18.07.2017	80718.00

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर-जालोर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर को उनके पत्रांक 2620 दिनांक 29.01.2020 के साथ संलग्न प्राप्त मूल बिल, वेतन आहरण संबंधित स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र व अन्य दस्तावेज मूल ही नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
5. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (II)